

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1147

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

एम.एस.ए.एम.ई. क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

1147. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान एम.एस.ए.एम.ई. क्षेत्र के प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों को आवंटित बजट की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;
- (ख) एम.एस.ए.एम.ई. क्षेत्र द्वारा किन-किन चुनौतियों का सामना किया गया है; और
- (ग) आन्ध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में पीएम-विश्वकर्मा कार्यक्रम अथवा अन्य के माध्यम से अनिर्धारित क्षेत्र सहित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों में अन्य के साथ-साथ क्रेडिट की रियायती दरों पर उपलब्धता तक पहुँच, प्रौद्योगिकी, अनौपचारिकरण, बुनियादी ढांचे की कमी, कुशल जनशक्ति की कमी और बाजार तक पहुंच शामिल है। इन चुनौतियों को न्यूनतम करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लाभ के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएस) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) शामिल हैं।

इन फोकस क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी कार्यकलापों के लिए एमएसएमई मंत्रालय को आवंटित बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बजट आवंटन निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपए में )
2022-23	21,422.00
2023-24	22,137.95

हाल ही में सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में ऋण सहायता, औपचारिकीकरण, प्रौद्योगिकीय सहायता, संरचनात्मक ढांचे का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा विपणन सहायता के क्षेत्रों में विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- (i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
- (ii) आत्म निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
- (iii) निवेश के संवर्धन हेतु एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड

- (iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
- (v) दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
- (vi) एमएसएमई के शिकायत निवारण और हैंडहोल्डिंग सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करते हुए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" की शुरुआत की गई है।
- (vii) दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
- (viii) एमएसएमई की स्थिति में सुधारोन्मुखी परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों के लिए गैर-कर का लाभ विस्तारित कर दिया गया है।
- (ix) अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम का शुरुआत की है।
- (x) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।
- (xi) जैसा कि बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, क्रेडिट की कम लागत के साथ 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट को सक्षम बनाने के लिए सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रुपए का समावेशन किया गया है।

देश में असंगठित क्षेत्रों जैसे कारीगरों और शिल्पकारों के संवर्धन और विकास के लिए दिनांक 17.09.2023 को ऐसे कारीगरों और शिल्पकारों जो हाथों और औजारों से अपना काम करते हैं, को आद्योपांत सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से मान्यता, कौशल उन्नयन टूलकिट प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता संबंधी घटक शामिल हैं। दिनांक 17.09.2023 को योजना के आरंभ के बाद से 05.02.2024 तक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकरण का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है।

राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	11,39,051	44,827

\*\*\*\*\*